न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारीः मनोज कुमार मीणा आर. ए. एस.

मिसल सं0 150/2019 **दायर तारीख 15–10–2019**

1–निर्मलसिह पुत्र श्री वकीलसिह
2–मंहगासिह पुत्र श्री वकीलसिह
3–ज्ञानसिह पुत्र श्री लखासिह
4–औकांरसिह पुत्र श्री लखासिह
5–कौरसिह पुत्र श्री लखासिह
6–सतनामसिह पुत्र श्री लखासिह

अकवाम जटसिख साकिनान ढाबा झालार तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर राज0

––– वादीगण

बनाम

1–बलवन्तसिह पुत्र श्री मेजरसिह
2–बेअन्तसिह पुत्र श्री मेजरसिह
3–महेन्द्रसिह पुत्र श्री बरयामसिह
4–रणजीतसिह पुत्र श्री राजवीरसिह

अकवाम जटसिख साकिन ढाबा झालार तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर राज0

5–कुनणा बेवाह जेठा
6–पुरखा पुत्र श्री रामू
7–मूला पुत्र श्री रामू
8–नन्दा पुत्र श्री शेरू
9–पूरा पुत्र श्री गोविन्द
10–तारू पुत्र श्री गोविन्द
11–गोपाल पुत्र श्री गोविन्द

अकवाम सुथार साकिनान ढाबा झालार तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर राज0

12–रामप्यारी पुत्री श्री जेठा जाति सुथार साकिन ढाबा झालार तहसील सूरतगढ
13–राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार राजस्व सूरतगढ भू–धारक

––– प्रतिवादीगण

वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 88 , 209, राज0 काश्त0 अधि0 1955

उपस्थित :–

1– राजाराम भादू एडवोकेट, राजवीर भादू एडवोकेट वादीगण ।

2–पैरोकार राज तहसीलदार, सूरतगढ ।

–:– निर्णय –:– **दिनांक :–** 29/10/2020

आज पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई । अभिभाषक वादीगण , अभिभाषक प्रतिवादी नं0 4 एवं पैरोकार राज उपस्थित। उभय पक्षो को सुना गया । प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादी नं0 1 व 2 के दादा इन्द्रसिह व वादी नं0 3 ता 6 के पिता लखासिह तथा प्रतिवादी नं0 3 तथा इनके भाई बहादरसिह द्वारा जैरवाद रकबा रोही मौजा

–––2 पर लगातार

(मनोज कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (राज0)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.11.11 17:15:43 IST
Reason: SelfAttested

ढाबा झालार के संयुक्त खाते में 191–06बीघा भूमि मे गोपाल वल्द गोमन्द जाति सुथार ने 13–14बीघा का बेचान जरिये बैयनांमा द्वारा दिनांक 17–06–1953 को किया गया तथा कब्जा कास्त उक्त जैरवाद रकबा का सम्भला दिया गया । वादीगण एवं प्रतिवादी नं0 1 ता 3 व 5 ता 12 के नाम से संयुक्त खाता की भूमि वाके चक 19 एल जी डब्ल्यू बी तहसील सूरतगढ के खाता संख्या 4/8 के प0 नं0 22/293 (24) किला नं0 11 ता 14, 16 ता 25/3.466 हे0 नहरी मय गे0मु0 रास्ता खातेदारी भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है । प्रतिवादी नं0 5 ता 12 के नाम उक्त जैरवाद भूमि रोही ढाबा झालार में 191–06 बीघा अर्थात 3826 हिस्सा भूमि राजस्व रिकार्ड दर्ज थी । उक्त भूमि चकबन्दी पैमूद होने पर चक 19 एल जी डब्ल्यू के खाता सं0 10 के पं0 नं0 22/293 के किला नं0 11 ता 14, 16 ता 25 व पं0 नं0 23/294 के किला नं0 1 ता 20 = 34–19 बीघा चक 20 एल जी डब्ल्यू के पं0 नं0 23/294 के किला नं0 21 ता 25 व 23/295 के किला नं0 1 ता 25 = 28–00बीघा , चक 12 एस जी आर के पं0 नं0 34/308 के किला नं0 1 ता 25= 24–15बीघा व चक 11 एस जी आर के पं0 नं0 33/308 के किला नं0 2 ता 6 , पं0 नं0 33/304 के किला नं0 20 ता 25 , पं0 नं0 33/307 के किला नं0 1 ता 18, 25 , पं0 नं0 33/307 के किला नं0 1 ता 25, 33/306 के किला नं0 1 ता 25 , पं0 नं0 33/305 के किला नं0 18 = 93–00बीघा भूमि पैमूद हुई । वादी नं0 1 व 2 के दादा इन्द्रसिह व वादी नं0 3 ता 6 के पिता लखासिह तथा प्रतिवादी नं0 3 तथा इनके भाई बहादरसिह द्वारा जैरवाद रकबा रोही मौजा ढाबा झालार के संयुक्त खाते में 191–06बीघा भूमि मे गोपाल वल्द गोमन्द जाति सुथार ने 13–14बीघा खरीद कर कब्जा कास्त दिया गया तथा कब्जा कास्त मुताबिक ही चकबन्दी पैमूदा होने पर वाके चक 19 एल जी डब्ल्यू बी तहसील सूरतगढ के खाता संख्या 4/8 के प0 नं0 22/293 (24) किला नं0 11 ता 14, 16 ता 25/3.466 हे0 नहरी मय रास्ता फिटिंग की गई और खरीद से लेकर आज तक वादीगण का कब्जा कास्त बदस्तुर चला आ रहा हैं। परन्तु राजस्व कर्मचारियो द्वारा सहवन से प्रतिवादी नं0 5 ता 12 का नाम जैरवाद भूमि में दर्ज राजस्व रिकार्ड कर दिया गया । इसलिए वादीगण प्रतिवादी नं0 5 ता 12 का नाम राजस्व रिकार्ड में से कलमजन करवाने के कानूनन हकदार है । प्रतिवादी नं0 5 ता 12 के द्वारा खसरा से चकबन्दी पैमूद होने पर वाद–पत्र की मद संख्या 4 में वर्णित रकबे का बेचान कर दिया गया जिस पर खरीददार कास्तकारो के नाम उक्त भूमि अलग–2 राजस्व रिकार्ड दर्ज हो गई । वादी नं0 1 व 2 के दादा इन्द्रसिह भाई बहादरसिह ने उक्त जैरवाद भूमि मे अपने रकबे का बेचान वादीगण नं0 3 ता 6 को बेचान कर दिया गया तथा इसी मुताबिक वादी नं0 3 ता 6 के नाम राजस्व रिकार्ड दर्ज हो गई है । वादी नं0 1 ने अपने हिस्सा 46¾ (यानि 0.591 हे0) में से 1/2 हिस्सा (यानि 0.295 हे0) में से 0.219 हे0 तथा प्रतिवादी नं0 1 व 2 ने अपने सम्पूर्ण हिस्से का बेचान प्रतिवादी नं0 4 रणजीतसिह पुत्र श्री राजवीरसिह के नाम जरिये

——— 3 पर लगातार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

(मनोज कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.11.11 17:15:43 IST
Reason: SelfAttested

बैयनांमा तस्दीक करवा दिया गया है । इसलिए प्रतिवादी नं0 1 व 2 का नाम राजस्व रिकार्ड के कमलजन किया जाकर प्रतिवादी नं0 4 को खातेदार कृषक घोषित किया गया है । राज्य सरकार के आदेशानुसार तहसील स्तर पर सेग्रीग्रेशन व DILRMP की कार्यवाही चलने के दौरान खातो का मिलान करते वक्त उक्त जैरवाद खाता अपवादित पाया गया इसलिए वादीगण वाद–पत्र में वर्णित तथ्यो के मुताबिक खातेदार कृषक करवाने के कानूनी हकदार है ।

वाद–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्ट्रर किया गया । प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया । सम्मन अदम तामिल आने के पश्चात प्रतिवादीगण की तलबी अखवार साया के द्वारा करवाई गई । इसके पश्चात भी प्रतिवादीगण न्यायालय में हाजिर नही होने के कारण उनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। इस प्रकार प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही होने के कारण किसी प्रकार का कोई भी जबाब प्रस्तुत नही होने से कोई विवाधक तथ्य सामने नही आने पर तनकी कायम नही की गई। पक्षकारान के साक्ष्य लिये गये साक्ष्य वादीगण द्वारा शपथ–पत्र प्रस्तुत किये गये।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

इसके पश्चात वादी एवं प्रतिवादी के अभिभाषक की बहस सुनी गई । जिसमें वादी के विद्वान अभिभाषक ने दावे के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया वादी नं0 1 व 2 के दादा इन्द्रसिंह व वादी नं0 3 ता 6 के पिता लखासिह तथा प्रतिवादी नं0 3 तथा इनके भाई बहादरसिंह द्वारा जैरवाद रकबा रोही मौजा ढाबा झालार के संयुक्त खाते में 191–06बीघा भूमि मे गोपाल वल्द गोमन्द जाति सुथार ने 13–14बीघा का बेचान जरिये बैयनांमा द्वारा दिनांक 17–06–1953 को किया गया तथा कब्जा कास्त उक्त जैरवाद रकबा का सम्भला दिया गया । वादीगण एवं प्रतिवादी नं0 1 ता 3 व 5 ता 12 के नाम से संयुक्त खाता की भूमि वाके चक 19 एल जी डब्ल्यू बी तहसील सूरतगढ के खाता संख्या 4/8 के प0 नं0 22/293 (24) किला नं0 11 ता 14, 16 ता 25/3.466 हे0 नहरी मय गे0मु0 रास्ता खातेदारी भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है । उक्त भूमि चकबन्दी पैमूद होने पर चक 19 एल जी डब्ल्यू के खाता सं0 10 में 34–19 बीघा चक 20 एल जी डब्ल्यू के पं0 नं0 23/294 व 23/295 में 28–00बीघा , चक 12 एस जी आर के पं0 नं0 34/308 में 24–15बीघा व चक 11 एस जी आर के पं0 नं0 33/308 , पं0 नं0 33/304 , पं0 नं0 33/307 , पं0 नं0 33/307 , 33/306 व पं0 नं0 33/305 मे कुल 93–00बीघा भूमि पैमूद हुई । वादी नं0 1 व 2 के दादा इन्द्रसिह व वादी नं0 3 ता 6 के पिता लखासिह तथा प्रतिवादी नं0 3 तथा इनके भाई बहादरसिह द्वारा जैरवाद रकबा रोही मौजा ढाबा झालार के संयुक्त खाते में 191–06बीघा भूमि मे गोपाल वल्द गोमन्द जाति सुथार ने 13–14बीघा खरीद कर कब्जा कास्त दिया गया तथा कब्जा कास्त मुताबिक ही चकबन्दी पैमूदा होने पर वाके चक 19 एल जी डब्ल्यू बी तहसील सूरतगढ के खाता संख्या 4/8 के प0 नं0 22/293 (24) किला नं0 11 ता 14, 16 ता 25/3.466 हे0 नहरी मय रास्ता

---4 पर लगातार

(मनोज कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (राज0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.11.11 17:15:43 IST
Reason: SelfAttested

फिटिंग की गई और खरीद से लेकर आज तक वादीगण का कब्जा कास्त बदस्तुर चला आ रहा हैं। परन्तु राजस्व कर्मचारियो द्वारा सहवन से प्रतिवादी नं0 5 ता 12 का नाम जैरवाद भूमि में दर्ज राजस्व रिकार्ड कर दिया गया । प्रतिवादी नं0 5 ता 12 के द्वारा खसरा से चकबन्दी पैमूद होने पर जैरवाद रकबे का बेचान कर दिया गया जिस पर खरीददार कास्तकारो के नाम उक्त भूमि अलग–2 राजस्व रिकार्ड दर्ज हो गई । वादी नं0 1 व 2 के दादा इन्द्रसिह भाई बहादरसिह ने उक्त जैरवाद भूमि मे अपने रकबे का बेचान वादीगण नं0 3 ता 6 को बेचान कर दिया गया तथा इसी मुताबिक वादी नं0 3 ता 6 के नाम राजस्व रिकार्ड दर्ज हो गई है । वादी नं0 1 ने अपने हिस्सा 46¾ (यानि 0.591 हे0) में से 1/2 हिस्सा (यानि 0.295 हे0) में से 0.219 हे0 तथा प्रतिवादी नं0 1 व 2 ने अपने सम्पूर्ण हिस्से का बेचान प्रतिवादी नं0 4 रणजीतसिह पुत्र श्री राजवीरसिह के नाम जरिये बैयनांमा तस्दीक करवा दिया गया है । इसलिए प्रतिवादी नं0 1 व 2 का नाम राजस्व रिकार्ड के कमलजन किया जाकर प्रतिवादी नं0 4 को खातेदार कृषक घोषित किये जाने की प्रार्थना की ।

बहस पर मनन किया । पत्रावली का गहनता से पठन व मनन किया गया एवं उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया गया । मुताबिक जमाबन्दीयो जैरवाद रकबा प्रतिवादी सं0 5 ता 12 का रकबा अन्य चको में पैमूद हो गया तथा प्रतिवादीगण द्वारा उक्त रकबा बेचान करने के पश्चात केतागण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो चुका है । सहवन से प्रतिवादी नं0 5 ता 12 का नाम आज भी राजस्व रिकार्ड होने के कारण कलमजन किया जाना आवश्यक है । तथा प्रतिवादी नं0 4 को वादी एवं प्रतिवादी नं0 1 व 2 द्वारा रकबा जरिये बैयनांमा द्वारा बेचान होने के कारण खातेदार कृषक घोषित किया जाना हम उचित समझते है ।

अतः उक्त विवेचन अनुसार वाद आंशिक स्वीकार किया जाकर वाद ग्रस्त रकबा चक 19 एल जी डब्ल्यू बी तहसील सूरतगढ के खाता संख्या 4/8 के प0 नं0 22/293 (24) किला नं0 11 ता 14, 16 ता 25/3.466 हे0 नहरी मय गे0मु0 रास्ता खातेदारी भूमि में प्रतिवादी नं0 1 व 2 – 5 ता 12 का नाम राजस्व रिकार्ड से कलमजन किये जाने का आदेश दिया जाता है तथा चक 19 एल जी डब्ल्यू बी तहसील सूरतगढ के खाता संख्या 4/8 के प0 नं0 22/293 (24) किला नं0 11 ता 14, 16 ता 25/3.466 हे0 नहरी मय गे0मु0 रास्ता खातेदारी भूमि में वादी नं0 1 के नाम 0.078 हे0 , वादी नं0 2 के नाम 0.298 हे0 , वादी नं0 3 ता 6 के नाम 1.733 हे0 बहिस्साबराबर एवं प्रतिवादी नं0 3 के नाम 0.862 हे0 , प्रतिवादी नं0 4 के नाम 0.495 हे0 भूमि का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है । किसी पक्षकार की भुमि रहन है तो रहन का अंकन यथावत रहेगा। डिक्री जारी हो । पत्रावली वाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 29/10/2020 को खुले न्यायालय में सनाया गया ।

सहायक कलेक्टर
(मनोज कुमार मीणा)
एवं उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
(सूरतगढ़) सूरतगढ
(सूरतगढ़ (राज०))

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.11.11 17:15:43 IST
Reason: SelfAttested

(आदेश 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

डिक्री बमुकद्दम इश्तदाई

अज अदालत –सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी , सूरतगढ जिला श्री गंगानगर

बइजलास – श्री मनोज कुमार मीणा आर. ए. एस.

अनवान :

1–निर्मलसिह पुत्र श्री वकीलसिह
2–मंहगासिह पुत्र श्री वकीलसिह
3–ज्ञानसिह पुत्र श्री लखासिह
4–औकांरसिह पुत्र श्री लखासिह
5–कौरसिह पुत्र श्री लखासिह
6–सतनामसिह पुत्र श्री लखासिह

अकवाम जटसिख साकिनान ढाबा झालार तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर राज0

––– वादीगण

बनाम

1–बलवन्तसिह पुत्र श्री मेजरसिह
2–बेअन्तसिह पुत्र श्री मेजरसिह
3–महेन्द्रसिह पुत्र श्री बरयामसिह
4–रणजीतसिह पुत्र श्री राजवीरसिह

अकवाम जटसिख साकिन ढाबा झालार तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर राज0

5–कुनणा बेवाह जेठा
6–पुरखा पुत्र श्री रामू
7–मूला पुत्र श्री रामू
8–नन्दा पुत्र श्री शेरू
9–पूरा पुत्र श्री गोविन्द
10–तारू पुत्र श्री गोविन्द
11–गोपाल पुत्र श्री गोविन्द

अकवाम सुथार साकिनान ढाबा झालार तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर राज0

12–रामप्यारी पुत्री श्री जेठा जाति सुथार साकिन ढाबा झालार तहसील सूरतगढ
13–राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार राजस्व सूरतगढ भू–धारक

––– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 व 209 आर. टी. ए. मुकदमा नं0 150 वर्ष 2019 यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कितई रूबरू हमारे व हाजिर अभिभाषक वादीगण **राजाराम भादू , राजवीर भादू** व राज पैरोकार तहसीलदार सूरतगढ के पेश होने पर हुक्म दिया जाता है ।

वाद वादी आंशिक स्वीकार कर निम्न प्रकार से आदेशित कर डिक्री जारी करने के आदेश प्रदान किये जाते है :

चक 19 एल जी डब्ल्यू बी तहसील सूरतगढ के खाता संख्या 4/8 के प0 नं0 22/293 (24) किला नं0 11 ता 14, 16 ता 25/3.466 हे0 नहरी मय गे0मु0 रास्ता खातेदारी भूमि में प्रतिवादी नं0 1 व 2 – 5 ता 12 का नाम राजस्व रिकार्ड से कलमजन किये जाने का आदेश दिया जाता है तथा चक 19 एल जी डब्ल्यू बी तहसील सूरतगढ के खाता संख्या 4/8 के प0 नं0 22/293 (24) किला नं0 11 ता 14, 16 ता 25/3.466 हे0 नहरी मय गे0मु0 रास्ता खातेदारी भूमि में वादी नं0 1 के नाम 0.078 हे0 , वादी नं0 2 के नाम 0.298 हे0 , वादी नं0 3 ता 6 के नाम 1.733 हे0 बहिस्साबराबर एवं प्रतिवादी नं0 3 के नाम 0. 862 हे0 , प्रतिवादी नं0 4 के नाम 0.495 हे0 भूमि का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है । किसी पक्षकार की भुमि रहन है तो रहन का अंकन यथावत रहेगा।

नोज ...×.....मुबलिग ...×.....बाबत .....×......खर्चा इस मुकदमें में मय सूद बशहर ...×......फसदो की पालना...... ×........आज की तारीख से तारीख वसुलया वो तक की अदा करे ।

बसिन्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 29/10/2020 को जारी की गई ।

(मनोज कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (राज0)

सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी
सूरतगढ (श्रीगंगानगर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.11.11 17:15:43 IST
Reason: SelfAttested